निर्णय वइजलास श्री रामसिंह गुर्जर आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी छबडा जिला बारां द्वारा अध्यासित

प्रकरण संख्या 72/2016
दायरा दिनांकः–06.06.2016
निर्णय दिनांकः– 19.3.25

उनवान

1. नारायण आत्मज घीस्या जाति गुर्जर निवासी मोरेला तहसील छबडा जिला बारां
2. पन्नी बाई पुत्री घीस्या जाति गुर्जर निवासी मोरेला तहसील छबडा जिला बारां

बनाम

1. अमृतलाल पुत्र हरि किशन जाति गुर्जर निवासी मोरेला तहसील छबडा
2. मानसिंह आत्मज हरि किशन जाति गुर्जर निवासी मोरेला तहसील छबडा
3. गोकुल आत्मज हरि किशन जाति गुर्जर निवासी मोरेला तहसील छबडा
4. प्रेमबाई पुत्री हरि किशन जाति गुर्जर निवासी मोरेला तहसील छबडा जिला बारां
5. चम्पा बाई बेवा हरि किशन जाति गुर्जर निवासी मोरेला तहसील छबडा
6. भँवर जी आत्मज भूरा जाति गुर्जर निवासी मोरेला तहसील छबडा जिला बारां
7. जमनालाल आत्मज भूरा जाति गुर्जर निवासी मोरेला तहसील छबडा जिला बारां
   सत्यनारायण आत्मज भूरा जाति गुर्जर निवासी मोरेला तहसील छबडा
8. रामप्यारी पुत्री भूरा जाति गुर्जर निवासी मोरेला तहसील छबडा जिला बारां दाखां बाई बेवा भूरा जाति गुर्जर निवासी मोरेला तहसील छबडा जिला बारां (राज0)
9. बैंक एस0बी0बी0जे0(एडी0बी) शाखा छबडा।
10. सरकार जर्ये पटवारी सेमली
11. राजथान सरकार जर्ये तहसीलदार छबडा जिला बारां (राज0)

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53,188 आर0 टी0 एक्ट0

निर्णय दिनांकः– 19.3.25

अभिभाषक उपस्थितः–1. श्री दौलतराम मीना – वादी
2. श्री बृजराज सिंह राजावत – प्रतिवादी

अभिभाषक वादी द्वारा वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53, 188 आर.टी.ए विरूद्ध प्रतिवादीगण के न्यायालय मे इस आशय का पेश किया गया कि वाके ग्राम मोरेला के खाता संख्या 6/115 में स्थित खसरा नम्बर 142 रकबा 3 बीघा 12 बिस्वा (पाटी) माल पैत्रिक कृषि आराजी स्थित है। जो वर्तमान में नामान्तरण की अशुद्धि के कारण परिवार सजरा के अनुसार विभाजित नही होकर नंदा के पुत्र हरि किशन व भूरा के नाम आकर दोनो भाईयों के वारिसान प्रतिवादी नम्बर 1 ता 10 के नाम वर्तमान राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में दर्ज है उक्त खसरा नम्बर के अतिरिक्त अन्य पैत्रिक आराजीयात स्थित थी जिनमें सही नामान्तरण

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)

खुलने के कारण वादी व प्रतिवादी नम्बर 1 ता 10 के मध्य विभाजित होकर बटवारा करके ले रखी है। सभी अपने–अपने हिस्सो पर काबिज काश्त है खसरा नम्बर 142 की आराजी में वादी का हिस्सा 1/2 बैठता है और मौके पर काबिज काश्त है। मात्र राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में वादी का हिस्सा 1/2 दर्ज करवाने के लिये वाद पेश है। स्थिति को समझने के लिये पारिवारिक सजरा निम्न प्रकार से है जिसके अनुसार खसरा नम्बर 142 की आराजी विभाजित होनी है। वाद नामान्तरण दुरूस्ती एवं राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में हिस्सा दर्ज करवाने के लिये सेटलमेन्ट की नकल एवं सम्वत् 2006 की नकल लेने में काफी विलम्ब होने के कारण विलम्ब से पेश है। समस्त रिकार्ड देखने पर वादीगण का हिस्सा छुटा पाया गया जिसके कारण वाद हेतु उत्पन्न हुआ। वाद का उद्देश्य पैत्रिक आराजीयात में सामान्तिक हिस्सा 1/2 दर्ज करवाना है मौके पर समस्त आराजीयात के हकदारों ने बराकर हिस्सा कर रखा है। वादीगण एवं प्रतिवादीगण अपने–अपने हिस्सों को काश्त करतें चले आ रहे है। मात्र खातेदारी राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में वादीगण के नाम दर्ज करवानी है। जो राजस्व रिकार्ड अनुसार करवानी है और बाद खातेदारी की घोषणा के मद नम्बर 01 में वर्णित आराजी का बटवारा करवा कर राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में बटवारा दर्ज करवाना हे ऐसी स्थिति में राज्य सरकार को मियादी नोटिस दिया जाना आवश्यक नही है। परन्तु वाद अरजेन्ट का है क्योकि वर्तमान खातेदारी में जिनका नाम है उनमें से किसी ने जमीन हस्तान्तरण कर दी तो वादीगण का हक नष्ट हो जायेगा। और अनेक वाद विवाद उत्पन्न हो जावेगे। वाके माल मोरेला खाता संख्या 6/115 में स्थित खसरा नम्बर 142 रकबा 3 बीघा 12 बिस्वा पैत्रिक आराजी में वादीगण का सजरा अनुसार एवं पारिवारिक वंश श्रृखंला अनुसार हिस्सा 1/2 जमाबन्दी में दर्ज किया जावें। की घोषणा फरमाई जावे। और राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में वादीगण का हिस्सा 1/2 दर्ज करने हेतु प्रतिवादी नम्बर 12 व 13 को पाबन्द फरमाने की कृपा करें।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जर्ये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण की ओर से जवाब दावा मय काउन्टर क्लेम पेश हुआ। वकील प्रतिवादी द्वारा काउण्टर क्लेम में बताया कि खसरा नम्बर 142 रकबा 3.12 बीघा वाके ग्राम मोरेला में स्थित है जो प्रतिवादी क्रम 1 ता 10 के दादा नन्दा के नाम एलोट हुई थी नन्दा के दो पुत्र हरिकिशन व भूरा था नन्दा के बडे पुत्र हरिकिशन के 1 ता 5 वारिस है तथा भूरा के 6 ता 10 वारिस है उक्त आराजी पैत्रक ना होकर नन्दा को एलोट हुई थी विवादित आराजी पर कानूनी रूप से प्रतिवादीगण का हक अधिकार है विवादित आराजी पर प्रतिवादीगण का ही कब्जा काश्त व खातेदारी में चली आ रही है वादीगण का कभी कब्जा काश्त नही रहा है वादी द्वारा पैत्रक आराजी होना बताया है जबकि विवादित आराजी पैत्रक आराजी नही है यह आराजी नन्दा को आवंटन हुई थी। इसलिए प्रतिवादी क्रम 1 ता 10 का हक अधिकार है वादी का किसी प्रकार से कोई हक अधिकार नही है वादी का वाद खारिज फरमाया जावें।

वादी द्वारा अपने पक्ष के समर्थन में नकल जमाबंदी ग्राम मोरेला सम्वत् 2069–72 खाता संख्या 6 नकल रजिस्टर खतोनी ग्राम मोरेला सम्वत् 2006 नकल

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)

खतोनी बन्दोबस्त सम्वत् 2012–31 खाता संख्या 38 नकल खतोनी बन्दोबस्त सम्वत् 2012–31 ग्राम मोरेला सम्वत् 2012–31 नकल परिवार राशन कार्ड मतदाता पहचान पत्र रामनारायण मतदाता पहचान पत्र घांसीलाल नकल मिलान क्षैत्रफल ग्राम मोरेला मिलान क्षैत्रफल ग्राम मोरेला पेश किया गया। साक्ष्य वादी में PW1 नारायण PW2 दौलतराम PW3 हरिराम PW4 उदमसिंह के बयान करायें गयें साक्ष्य प्रतिवादी में DW1 मानसिंह DW2 अमृतलाल के बयान करायें गये।

वादी के वाद पत्र एवं प्रतिवादीगण के जवाब दावा मय काउन्टर क्लेम के आधार पर निम्न तानकीयात कायम की गई। ::–

तनकी नम्बर 1 :– आया कि माल मोरेला में खसरा नम्बर 142 रकबा 3.12 बीघा पैत्रक आराजी है जो नामान्तरण की अशुद्धि के कारण परिवार सजरा अनुसार विभाजन नही होकर नन्दा के पुत्र हरिकिशन व भूरा के नाम आकर दोनो भाईयों के वारिसान प्रतिवादी 1 ता 10 के नाम दर्ज है।

वादी

तनकी नम्बर 2 :– आया कि उक्त आराजी में वादी का हिस्सा बैठता है मौके पर काबिज काश्त है राजस्व रिकार्ड में हिस्सा दर्ज करने के लिए वाद पेश किया है।

वादी

तनकी नम्बर 3 :– आया कि उक्त आराजी ग्राम मोरेला के खसरा नम्बर 142 रकबा 3.12 बीघा प्रतिवादी क्रम 1 ता 10 के दादा नन्दा के नाम एलोट हुई थी जिसके प्रतिवादीगण वारिस है।

प्रतिवादी

तनकी नम्बर 4 :– आया कि वर्तमान में जमीन की कीमत बड जाने से वादीगण ने वाद पेश किया है।

प्रतिवादी

तनकी नम्बर 5 :– अनुतोष

बहस अभिभाषक वादी सुनी गई। बहस के दौरान वकील वादी का कथन है कि विवादित आराजी वाके ग्राम मोरेला तहसील छबडा में स्थित है। जो पैत्रक आराजी है जो नामान्तरण की अशुद्धि के कारण वारिसान के सजरा अनुसार विभाजन ना होकर नन्दा के पुत्र हरिकिशन व भूरा दोनो के वारिसान प्रतिवादी क्रम 1 ता 10 के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है इनके अलावा अन्य खसरा नम्बरान की अन्य पैत्रक आराजी थी जिसका सही नामान्तरण खुलने से वादी एवं प्रतिवादी क्रम 1 ता 10 ने बटवारा करके ले रखी है सभी अपनी–अपनी भूमि काश्त करतें चले आ रहे है वादी का 1/2 हिस्सा है तथा मौके पर काबिल काश्त है मात्र राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाना है विवादित आराजी कुल 32.09 बीघा थी जो गोविन्द पुत्र भेरिया, हरिकिशन, व भूरा पुत्र नन्दा के नाम दर्ज थी। जिसमें गोविन्द का 1/2 हिस्सा एवं हरिकिशन व भूरा का 1/2 हिस्सा था। सम्वत् 2012–31 की

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)

जमाबन्दी में गोविन्द पुत्र भेंरिया के खाते में 13.13 बीघा एवं हरिकिशन व भूरा पुत्र नन्दा के खाते में 15.17 बीघा दर्ज है जबकि गोविन्द का 1/2 हिस्सा था 13.13 बीघा भूमि है जो कम है प्रतिवादी के वारिसान को लगभग 16 बीघा भूमि खाते दर्ज है वादी को लगभग 2.04 बीघा भूमि खातेदारी में कम है प्रतिवादी के खाते में 01 बीघा भूमि अधिक दर्ज हो गई जिसे वादी दुरूस्त कराकर खाते दर्ज कराने का अधिकारी है वादी का वाद स्वीकार किया जावे।

बहस के दौरान वकील प्रतिवादी का कथन है कि खसरा नम्बर 142 रकबा 3.12 बीघा वाके ग्राम मोरेला में स्थित है जो प्रतिवादी क्रम 1 ता 10 के दादा नन्दा के नाम एलोट हुई थी नन्दा के दो पुत्र हरिकिशन व भूरा था नन्दा के बडे पुत्र हरिकिशन के 1 ता 5 वारिस है तथा भूरा के 6 ता 10 वारिस है उक्त आराजी पैत्रक ना होकर नन्दा को एलोट हुई थी विवादित आराजी पर कानूनी रूप से प्रतिवादीगण का हक अधिकार है विवादित आराजी पर प्रतिवादीगण का ही कब्जा काश्त व खातेदारी में चली आ रही है वादीगण का कभी कब्जा काश्त नही रहा है वादी द्वारा पैत्रक आराजी होना बताया है जबकि विवादित आराजी पैत्रक आराजी नही है यह आराजी नन्दा को आवंटन हुई थी। इसलिए प्रतिवादी क्रम 1 ता 10 का हक अधिकार है वादी का किसी प्रकार से कोई हक अधिकार नही है वादी का वाद खारिज फरमाया जावें।

बहस अभिभाषक उभय पक्षकारान सुनी गई पत्रावली एवं रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। वादी के वाद का तनकीवार निर्णय निम्नानुसार किया जाता है :–

तनकी नम्बर 1 :– इस तनकी को साबित करने का भार वादी को था। इस तनकी मे मुख्य विषय यह है कि क्या खसरा नं. 142 रकबा 3.12 बीघा में वादीगण का 1/2 हिस्सा बनता है? इसके सम्बन्ध में वादी द्वारा प्रस्तुत नकल रजिस्टर खतोनी सम्वत् 2006 खाता संख्या के कुल खसरा नम्बर 19 रकबा 32.09 बीघा गोविन्द वल्द भेंरिया व हरिकिशन व भूरा पुत्र नन्दा जाति गुर्जर सा0देह दर्ज है। नकल जमाबन्दी ग्राम खतोनी बन्दोबस्त सम्वत् 2012–31 खाता संख्या 38 के कुल खसरा नम्बर 6 किता रकबा 15.17 बीघा हरिकिशन व भूरा पुत्र नन्दा कोम गुर्जर के नाम दर्ज है एवं नकल खतोनी बन्दोबरत ग्राम मोरेला सम्वत् 2012–31 खाता संख्या 14 के कुल खसरा नम्बर 6 किता रकबा 13.13 बीघा गोविन्द पुत्र भेरिया कोम गुर्जर के खाते दर्ज है। इससे यह साबित होता है कि वादी के पूर्वज गोविन्द एवं प्रतिवादीगण के पूर्वज हरिकिशन व भूरा थें। जिनके खाते में कुल 32.09 बीघा भूमि थी। खतोनी बन्दोबस्त के अनुसार वादी के पूर्वज गोविन्द को 13.13 बीघा भूमि एवं प्रतिवादी के पूर्वज हरिकिशन एवं भूरा को 15.17 बीघा भूमि खाते में थी। आज भी वर्तमान जमाबन्दी में प्रतिवादीगण के 15.17 बीघा खातेदारी में दर्ज है। वादी द्वारा ऐसा कोई साक्ष्य पेश नहीं किया गया जिससे यह साबित होता हो कि बंटवारे के समय कौन–कौन से खसरे वादी एवं प्रतिवादी के हिस्से में आये। वादी एवं प्रतिवादीगण के पूर्वजो के खाते में 32.09 बीघा भूमि है, जबकि वादी एवं प्रतिवादीगण की कुल भूमि 13.13+15.17= 29.10 बीघा है। शेष भूमि 2.19 बीघा

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)

का अन्तर वादी एवं प्रतिवादी के पूर्वजो के नाम दर्ज भूमि एवं बाद में वादी एवं प्रतिवादी के खाते दर्ज भूमि में है। इस अन्तर के सम्बन्ध में वादी द्वारा कोई दस्तावेज/साक्ष्य पेश नहीं किये। इस प्रकार वादी यह साबित करने में विफल रहे है कि खसरा नं. 142 रकबा 3.12 बीघा में उनका 1/2 हिस्सा सहवन से दर्ज होने से रह गया था। अतः यह तनकी वादी के विरूद्ध निर्णित की जाती है।

तनकी नम्बर 2 :– इस तनकी को साबित करने का भार वादी पर था। चूंकि तनकी नं0 1 को साबित करने में वादी विफल रहा है। अतः यह तनकी भी वादी के विरूद्ध निर्णित की जाती है।

तनकी नम्बर 3 :– इस तनकी को साबित करने का भार प्रतिवादी को था। प्रतिवादीगण द्वारा विवादित आराजी खसरा नम्बर 142 रकबा 3.12 बीघा भूमि दादा नन्दा को आवंटन होना बताया है मिलान क्षैत्रफल ग्राम मोरेला के अनुसार गत बन्दोबस्त नम्बर 124 रकबा 3.12 बीघा का वर्तमान खसरा नम्बर 142 रकबा 3.12 बीघा बना था। नकल खतोनी बन्दोबस्त सम्वत् 2006 में खसरा नम्बर 124 रकबा 3.12 बीघा गोविन्द पुत्र भेरिया हरिकिशन व भूरा पुत्र नन्दा के खातेदारी में दर्ज था। प्रतिवादीगण द्वारा जिस प्रकार दादा नन्दा को आवंटन होना बताया है तथा पैत्रक सम्पत्ति नही होना बताया है प्रतिवादीगण यह साबित करने में विफल रहे है कि खसरा नम्बर 142 रकबा 3.12 बीघा भूमि दादा नन्दा को एलोट हुई थी। प्रतिवादीगण द्वारा आवंटन से सम्बन्धित ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य व सबूत पेश नही किया जिससे यह साबित हो सके की विवादित आराजी दादा नन्दा को एलोट हुई थी। अतः यह तनकी प्रतिवादीगण के विरूद्ध निर्णित की जाती है।

तनकी नम्बर 4 :– इस तनकी का मूल वाद के निरतारण से प्रत्यक्ष रूप से कोई सम्बन्ध नहीं है। अतः यह तनकी पृथक से निर्णित करने की आवश्यकता नहीं है।

उपरोक्त तनकीयात के विवेचन से यह साबित होता है कि विवादित आराजी वादी एवं प्रतिवादी के पूर्वजो के समय से शामलाती खातेदारी में थी। जिसमें वादी एवं प्रतिवादीगण का 1/2–1/2 हिस्सा था। इस वाद का मुख्य विषय यह है कि क्या खसरा नं. 142 रकबा 3.12 बीघा में वादीगण का 1/2 हिस्सा बनता है? वादी द्वारा ऐसा कोई साक्ष्य पेश नहीं किया गया जिससे यह साबित होता हो कि बंटवारे के समय कौन–कौन से खसरे वादी एवं प्रतिवादीगण के हिस्से में आये। वादी एवं प्रतिवादीगण के पूर्वजो के खाते में 32.09 बीघा भूमि थी, जबकि वादी एवं प्रतिवादीगण की कुल भूमि 13.13+15.17= 29.10 बीघा है। शेष भूमि 2.19 बीघा का अन्तर वादी एवं प्रतिवादी के पूर्वजो के नाम दर्ज भूमि एवं बाद में वादी एवं प्रतिवादी के खाते दर्ज भूमि में है। इस अन्तर एवं खसरा नं. 142 रकबा 3.12 बीघा भूमि में 1/2 हिस्सा होने के सम्बन्ध में वादी द्वारा ऐसा कोई साक्ष्य/दस्तावेज पेश नहीं किये गये, जिससे यह साबित हो कि खसरा नं. 142 मे वादी का 1/2 हिस्सा है। इस प्रकार वादी अपने वाद को साबित करने मे विफल रहे है। अतः वादी का वाद खारिज किया जाना न्यायोचित है।

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)

:: क्रियात्मक आदेश ::

उपरोक्त विवेचनानुसार वादी का वाद चलने योग्य नहीं होने से खारिज किया जाता है। तद्नुरूप डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(रामसिंह गुर्जर)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी, छबडा

उपखण्ड अधिकारी छबड़ा (बारां)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, छबडा जिला बारां (राज0)

डिक्री

वाद संख्या 72/2016	धारा 53, 188 आर टी एक्ट	निर्णय दिनांक:- 19.3.25

समक्ष : **श्री रामसिंह गुर्जर आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी, छबडा जिला बारां**	
उपस्थिति :अभिभाषकवादीः-श्री दौलतराम मीना वादी	अभिभाषक प्रतिवादी:- बृजराज सिंह राजावत -प्रतिवादी

वाद शीर्षक

उनवान

1. नारायण आत्मज घीस्या जाति गुर्जर निवासी मोरेला तहसील छबडा जिला बारां
2. पन्नी बाई पुत्री घीस्या जाति गुर्जर निवासी मोरेला तहसील छबडा जिला बारां

बनाम

1. अमृतलाल पुत्र हरि किशन जाति गुर्जर निवासी मोरेला तहसील छबडा
2. मानसिंह आत्मज हरि किशन जाति गुर्जर निवासी मोरेला तहसील छबडा
3. गोकुल आत्मज हरि किशन जाति गुर्जर निवासी मोरेला तहसील छबडा
4. प्रेमबाई पुत्री हरि किशन जाति गुर्जर निवासी मोरेला तहसील छबडा जिला बारां
5. चम्पा बाई बेवा हरि किशन जाति गुर्जर निवासी मोरेला तहसील छबडा
6. भँवर जी आत्मज भूरा जाति गुर्जर निवासी मोरेला तहसील छबडा जिला बारां
7. जमनालाल आत्मज भूरा जाति गुर्जर निवासी मोरेला तहसील छबडा जिला बारां
   सत्यनारायण आत्मज भूरा जाति गुर्जर निवासी मोरेला तहसील छबडा
8. रामप्यारी पुत्री भूरा जाति गुर्जर निवासी मोरेला तहसील छबडा जिला बारां दाखां बाई बेवा भूरा जाति गुर्जर निवासी मोरेला तहसील छबडा जिला बारां (राज0)
9. बैंक एस0बी0बी0जे0(एडी0बी) शाखा छबडा।
10. सरकार जर्ये पटवारी सेमली
11. राजथान सरकार जर्ये तहसीलदार छबडा जिला बारां (राज0)

निर्णयार्थ प्रस्तुत वाद में यह आदेशित किया जाता है और तद्नुरूप डिक्री निर्गत की जाती है कि

वादी का वाद चलने योग्य नही होने से खारिज किया जाता है।

साथ ही नियमानुसार .... रू0 का व्ययानुतोष .... द्वारा .... को प्रदान किया जाए।

उक्त आदेश मेरे हस्ताक्षर एव न्यायालय की मुद्रा के साथ आज दिनांक 19.3.25 को निर्गत किया गया।

उपखण्ड अधिकारी,
छबडा जिला बारां

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)

व्ययानुतोष			
क्र.सं.	व्यय मद	वादी	प्रतिवादी
1.	वदपत्र/लिखित कथन		
2.	अभिभाषकपत्र (स्टाम्प+लिखितसामग्री व्यय)		
3.	साक्ष्य पत्रक (स्टाम्प+लिखितसामग्री व्यय)		
4.	प्रार्थनापत्र (स्टाम्प+लिखितसामग्री व्यय)		
5.	पारिश्रमिकअभिभाषक		
6.	व्यय साक्षी		
7.	फीसकमिश्नर		
8.	अन्य/क्षतिपूर्ति		
9.	ब्याज (:)		
10.	योग		